प्रेस नोट **04/04/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त 22-22 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹40,000-40,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(बाल न्यायालय) कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 04-04-2024 को, मु0अ0सं0 1618/2014 धारा 363,366,376ख,506, भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त रामाश्रय उर्फ मिन्टू पुत्र राजनाथ यादव निवासी हरखूपुर थाना कन्धरा जनपद आजमगढ़, जयहिन्द उर्फ गंजा पुत्र पारसनाथ यादव निवासी अन्नूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 22-22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ₹40,000-40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

◆एंटीरोमियो टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में किया गया जागरूक

आज दिनांक 04.04.2024 जनपद मऊ के विभिन्न थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन/महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाये जा रहे पुलिस की महिला सुरक्षा सम्बंधी विभिन्न महिला हेल्प लाइन 1090, यूपी-112, हेल्पलाइन नम्बरों 1076 आदि के बारे में जागरूक किया तथा उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल कर पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं/महिलाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया।

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 04.04.2024 पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में अर्धसैनिक बल व जनपदीय पुलिस बल के साथ

संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रूट मार्च/एरिया डॉमिनेशन कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति किया जा रहा आश्वस्त।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03.04.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर उम्मनपुर बार्डर के पास से मु0अ0सं0 87/24 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अमोल वर्मा पुत्र कन्हैयालाल वर्मा निवासी नूरपुरभुताख थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, तथा हलधरपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर चकरा मोड़ पहसा के पास से मु0अ0सं0 62/24 धारा 379,411,414 भादवि में वांछित अभियुक्त मुकेश उर्फ अरुण पुत्र धनन्जय निवासी हिन्दी भवन थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 व नवरात्र, ईद आदि त्यौहारों के दृष्टिगत आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना घोसी का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें थाना कार्यालय के त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने व गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर सीसीटीएनएस शाखा, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय आदि का निरीक्षण कर व व महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ–सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक घोसी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी घोसी, प्रभारी निरीक्षक घोसी सहित पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे।